बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

स्वास्थ्य विभाग,

आदेश

पत्रांकः सं0सं0—118 / बी0एन0आर0सी0 / 2024 / .... स्वा0,पटना, दिनांक ....

मोहमदिया एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाईटी, चॉंद कॉलोनी, फुलवारीशरीफ, पटना—801505 द्वारा संचालित **चम्पारण ग्रुप ऑफ इन्स्टीच्युट, सलिमनगर, मर्जना परसा, मैनाटांड, पश्चिम चम्पारण—845306** के अन्तर्गत **ए0एन0एम0, एवं जी0एन0एम0नर्सिंग पाठ्यक्रम** के संचालन हेतु **शैक्षणिक वर्ष 2024—25** से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तार के लिए **विभागीय आदेश ज्ञापांक— 2897 / बी0एन0आर0सी0, दिनांक 08.08.2024** के द्वारा **डॉ0 परमेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक(मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप संबंधित संस्थान में उपलब्ध भौतिक संरचनाओं, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जाँचोपरांत अनुशंसा के आलोक में पूर्व के निर्धारित सीटों पर शैक्षणिक वर्ष 2024—25, 2025—26 एवं 2026—27 के लिए **ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0नर्सिंग पाठ्यक्रम** हेतु मान्यता का अवधि विस्तार किया जाता है।

2— सरकार को यह अधिकार होगा कि संस्थान का निरीक्षण तीन वर्ष के पूर्व भी कराया जा सकेगा।

3— संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली से Suitability Report हेतु आवेदन एक पक्ष के अन्दर करना सुनिश्चत करेगें।

4— प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह/0—
(डॉ० मनोज कुमार चौधरी)
निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—सं0सं0—118 / बी0एन0आर0सी0 / 2024 / 4150 स्वा0,पटना, दिनांक 04-10-24

प्रतिलिपि :— निदेशक, **चम्पारण ग्रुप ऑफ इन्स्टीच्युट, सलिमनगर, मर्जना परसा, मैनाटांड, पश्चिम चम्पारण—845306** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— कुल सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मिठापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— विशेष सचिव, स्वा0विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

4.10.24.

निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

Dolly
PRINCIPAL
CHAMPARAN GROUP OF INSTITUTIONS
PARSA MARJADWA, W.CHAMPARAN

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना

नया सचिवालय, तीसरा तल्ला, कमरा संख्या 330 (A)
बेली रोड, पटना 800 015, (बिहार)
फोन नंबर: 0612-2215001 ईमेल आई.डी.: registar.bnrc@gmail.com

सं०सं० 58/बी.एन.आर.सी./2023/........ दिनांक......../......../2023

–:: सहमति पत्र ::–

प्रेषक,

श्रीमती निर्जला कुमारी
निबंधक,
बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

सेवा में,

सचिव,
चम्पारण ग्रुप ऑफ इंस्टीच्यूशन, सलिम नगर, मर्जदवा परसा, मैनाटांड, पश्चिम चम्पारण–845306

विषय :– सहमति पत्र के संबंध में।

प्रसंग :– स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के आदेश ज्ञापांक 1639(6), दिनांक 20.10.2023.

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक CGI/23/BNRC/01, दिनांक 25.10.2023 के आलोक में सूचित करना है कि स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार सरकार आदेश ज्ञापांक 1639(6), दिनांक 20.10.2023 के द्वारा आपके प्रशिक्षण संस्थान को जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम में 100 (एक सौ) सीटों के साथ नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

अतः विभागीय आदेश ज्ञापांक 1639(6), दिनांक 20.10.2023 के द्वारा संबंधित संस्थान को निर्गत मान्यता की सहमति के साथ एक सत्र (2023–24) का निर्धारण किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(निर्जला कुमारी)
निबंधक

ज्ञापांक–सं0सं0–58/बी.एन.आर.सी./2023 2766/स्वा0, पटना, दिनांक 25/10/2023

प्रतिलिपि:– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मिठापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)–सह–अध्यक्ष, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना, को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधक

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ०सं०–6 / एन–08–172 / 2023............ / पटना–15, दिनांक–

मोहमदिया एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाईटी, चाँद कॉलोनी, फुलवारीशरीफ, पटना–801505 द्वारा प्रस्तावित चम्पारण ग्रुप ऑफ इन्स्टीच्यूशन, सलिम नगर, मर्जदवा परसा, मैनाटांड, पश्चिम चम्पारण–845306 के अन्तर्गत जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम की स्थापना के लिए अनुमति हेतु आवेदन, शपथ–पत्र एवं अन्य अभिलेख समर्पित किया गया।

(2) सम्यक विचारोपरांत नर्सेज ट्रेनिंग–रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इक्जामिनेशंस ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–04 के उपनियम–II के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानानुसार चम्पारण ग्रुप ऑफ इन्स्टीच्यूशन, सलिम नगर, मर्जदवा परसा, मैनाटांड, पश्चिम चम्पारण–845306 के नाम से जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की जाती है।

(3) भारतीय उपचर्या परिषद (INC), नई दिल्ली द्वारा निर्गत मार्गदर्शन तथा स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–116(6) दिनांक–15.02.2017 एवं आदेश ज्ञापांक–704(6), दिनांक–15.06.2020 में दिए निदेश के आलोक में संस्थान द्वारा भवन निर्माण करने एवं नियमानुसार भौतिक संसाधनों एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता के पश्चात् संस्थान द्वारा मान्यता के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को आवेदन पत्र आदेश ज्ञापांक–989(6), दिनांक–05.08.2019 द्वारा निर्गत चेकलिस्ट में निर्धारित दस्तावेज के साथ समर्पित करना होगा। मान्यता प्राप्ति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का नामांकन कर पठन–पाठन का कार्य आरंभ होगा।

(4) संस्थान को मान्यता के लिए आवेदन आदेश निर्गत की तिथि से अधिकतम 9 माह के अन्दर समर्पित करना होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर मान्यता आवेदन समर्पित नहीं करने की स्थिति में अनुमति आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा तथा नये सिरे से अनुमति के लिए आवेदन समर्पित करना होगा।

ह0 / –
(डॉ0 अनिल कुमार तिवारी)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–6 / एन–08–172 / 2023 770(6) पटना, दिनांकः– 15/05/2023

प्रतिलिपिः–सचिव, चम्पारण ग्रुप ऑफ इन्स्टीच्यूशन, सलिम नगर, मर्जदवा परसा, मैनाटांड, पश्चिम चम्पारण–845306 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/5/23
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 22.12.2023

अ.सं.:संब0–6032/2023–861**/** बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक–**15.12.2023** को गैर–सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर–सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से **सत्र–2023–24** हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्त्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl. No.	Name of Institute	District	Course	No. of Seat
1	2	3	4	5
1	Acharya Sudarshan Paramedical & Nursing College	Sitamarhi	ANM	60
2	Apollo Nursing Training School	Darbhanga	GNM	40
3	Champaran Group Of Institutions	West Champaran	ANM	100
			GNM	100
4	Chanakya College of Education	Patna	GNM	60
5	D.P.S. School of Nursing	Gaya	GNM	60
6	Heera Singh Deepa Singh Jee College of Higher Education	Bhojpur	ANM	60
7	J P College Of Nursing	Samastipur	ANM	60
8	Mata Manjharo Ajab Dyal Singh College of Higher Education	Bhojpur	ANM	60
9	Navrang Prabhunath Institute Of Nursing &Hospital	Siwan	GNM	60
10	Prabhu Kailash Nursing College	Aurangabad	GNM	60
11	Raj Nursing Institute	Kaimur	ANM	60
12	Shanta Nursing Institute	Aurangabad	ANM	60
13	Shree B P Memorial Institute Of Nursing &Paramedical Sciences	West Champaran	GNM	60
14	Vindeshwari Prasad Singh College of Nursing	Patna	ANM	60
15	Vivekanand Paramedical & Nursing College	Gaya	GNM	60
16	Modern Institute of Nursing	Banka	GNM	60
17	Vishun Dev Narayana Institute of Higher Education	Nalanda	ANM	60
			GNM	60
18	Patel Nursing College	Purnea	GNM	60
19	Vidyapati Institute of Higher Education	Samastipur	GNM	60
20	Leader Institute of Higher Education	Samastipur	GNM	60
21	L.T. Nursing Institute	Bhojpur	ANM	60
22	Shivam Higher Education Foundation ANM Training School	Purnea	ANM	60
23	Shivam Higher Education Foundation GNM College	Purnea	GNM	60
24	Savitri Nursing Training School	Nawada	ANM	55
25	Shyam School of Nursing	Jehanabad	ANM	50
			GNM	60
26	RCH Nursing College	Siwan	GNM	60

27	Chanchal Suman Nursing College	Vaishali	GNM	60
28	Maharishi Dayanand Institute of Nursing	Darbhanga	ANM	20
			GNM	60

नियम एवं शर्तेः–

1. औपबंधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा–8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबंधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्त्तों के अधीन होगी।
3. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान को सत्र–2023–24 हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान सत्र–2023–24 में बिना स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त प्राप्त किए नामांकन नहीं लेंगे।
4. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
5. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा Apex Regulatory Body से Approved सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
6. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दें।
7. सूची में अंकित सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर जमा करेंगे।
8. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र–छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
9. विश्वविद्यालय/Concerned Apex Regulatory Body/बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जाँच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
10. महाविद्यालय/संस्थान बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/ Concerned Apex Regulatory Body के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
11. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
12. महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

वि.कु.झा 22/12/2023

(विमलेश कुमार झा)
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.–6032/2023–861/ पटना, दिनांक 22.12.2023

प्रतिलिपि–प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित नर्सिंग संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वि.कु.झा 22/12/2023

कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.–6032/2023–861**/** **पटना, दिनांक** 22.12.2023

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख(नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सचिव, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/सभी प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

22/12/2023

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.–6032/2023–861**/** **पटना, दिनांक** 22.12.2023

प्रतिलिपि–डीन(अकादमिक)/डीन(आयुष)/डीन(परीक्षा)/डीन(नर्सिंग)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

22/12/2023

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना